न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :— बनाम प्रतिवादीगण :—

पांचूराम पुत्र गंगाराम कुम्हार
निवासी पीह तह. परबतसर

1. तहसीलदार, परबतसर
2. पटवारी पीह

दावा बाबात :— खातेदारी घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती।

उपस्थित :— श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता वादी

मुकदमां नम्बर :— 2021/283 निर्णय दिनांक :— 28/3/22

निर्णय

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पीह के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.12 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें वादी की खातेदारी में नाम मूलाराम पुत्र गंगाराम लिखा हुआ है, जो वादी का बोलता नाम है जबकि वादी का वास्तविक नाम पांचूराम पुत्र गंगाराम है। वादी के अन्य समस्त दस्तोवजात में नाम पांचूराम पुत्र गंगाराम दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी के नाम में भिन्नता होने वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि में वादी का नाम मूलाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर पांचूराम पुत्र गंगाराम घोषित कयिा जावे।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन तामील सुदा प्राप्त के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह घासीराम, पूराराम के बयाने लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य बन्द की गई।

3. वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवज का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने वाद के साथ प्रदर्श — 1 जमाबन्दी सम्वत 2072—75 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम पीह के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.12 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

भूमि में मूलाराम पुत्र गंगाराम सम्पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की है जिसमें पांचूराम पुत्र गंगाराम दर्ज रिकार्ड है। गवाहो में अपने बयान स्वीकार किया है कि मूलाराम पुत्र गंगाराम व पांचूराम पुत्र गंगाराम इन दोनों नामों का एक ही व्यक्ति वादी है वादी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ग्राम में नहीं है। वादी का बोलतानाम मूलाराम जबकि वादी का वास्तविक नाम पांचूराम है। वादी ने भी अपने वाद में भी बताया है कि वादी का घर पर बोलता नाम मूलाराम था जिससे पिता का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण में वादी का नाम मूलाराम ही दर्ज कर दिया लेकिन वादी के समस्त अन्य दस्तावेजो में नाम पांचूराम पुत्र गंगाराम दर्ज है जिससे वादी को अपनी खातेदारी सुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने में भारी समस्या आ रही है। वादी के वाद में वर्णित कथनों की पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो एवं प्रस्तुत गवाहों के बयानो से होती है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.12 हैक्टयर भूमि में दर्ज मूलाराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर पांचूराम पुत्र गंगाराम घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28/3/22.........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/22

(शिवपाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)